10/(मा.जे)

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी–श्री दिनेश विश्नोई R.A.S.

प्रकरण संख्या :–91/2019

वादीगण

राणाराम पुत्र प्रतापाराम
जाति पुरोहित निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रतापाराम पुत्र भीमा
2. जबराराम पुत्र ~~भीमा~~ प्रतापाराम
3. आदाराम पुत्र भीमा
   जाति पुरोहित निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
5. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/3/19

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 स.प. धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 81/4 रकबा 21–04 बीघा व मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 20–18 बीघा, खसरा नम्बर 352 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 408 रकबा 5–10 बीघा वक्त सैटलमेंट से आया हुआ है। उक्त आराजी वादी के दादा पूर्व पुरूष स्वर्गीय भीमा के नाम पर्चा खसरा खाते व खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ। वादी के दादा भीमा का देहान्त हुआ तब उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाई प्रतिवादी संख्या 3 के नाम विरासत में फौतगी का नामान्तरण खोला गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/09/18	वकील वादी उपस्थित। वादी की साक्ष्य हेतु वादी राधारमण स्वयं उपस्थित। वादी की साक्ष्य में वादी राधारमण के बयान कलमबन्द करवाए गये। प्रतिवादी हेमराज ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित कथन कर वादी के [illegible] प्रतिवादी हेमराज 1 व 2 की ओर से स्वीकृति [illegible] किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखकर आज खुले न्यायालय सुनाया गया। डिक्री पृथक जारी हो। पत्रावली निर्णय सुनाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.)